5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(382)

निगरानी-3191/2018/सीधी/भू०रा

(1) रामखा तनय कालूराम

(2) विश्वनाथ तनय कालूराम

(3) बृजेन्द्र तनय कालूराम

(4) पुष्पराज तनय स्व०नागेन्द्र

(5) रमनाश तनय स्व०नागेन्द्र

(6) शकुन्तला बेवा स्व०नागेन्द्र

(7) दद्दो तनय कालूराम

(8) भागसेनुआ तनय कालूराम

सभी निवासी ग्राम समदा तहसील चुरहट जिला सीधी म०प्र०--- आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा आज दि० 23-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 31-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1) रामलखन राम मिश्र } पिसरान स्व०श्री रामकृपाल मिश्र
(2) नर्वदा राम मिश्र }
(3) रामजियावन मिश्र }
(4) दिवाकर प्रसाद मिश्र }

(5) सूर्यप्रताप तनय स्व०श्रीरामराज

(6) ठाकुर प्रसाद तनय सूर्यप्रताप मिश्र

(7) मु० सूर्यवल पत्नी बेवा सूर्यप्रताप

(8) दाददयाल मिश्र तनय स्व०रामराज मिश्र

(9) चन्द्रप्रताप तनय रामराज मिश्र

(9) चन्द्रिका प्रसाद तनय स्व०रामराज मिश्र

सभी निवासी ग्राम समदा तह० चुरहट जिला सीधी म०प्र०

(10) अवधविहारी तनय कालूराम मृत वारिस जोखनी बेवा अवधविहारी

(11) भैयालाल तनय कालूराम

(12) नीरज मिश्र तनय नागेन्द्र मिश्र

मुकेश भार्गव 3-5-18 एडवोकेट ग्वालियर

-2पर

/3/

{14} सीता देवी पुत्री कालूराम सभी निवासी ग्राम ... बुरहट ... ग्राम म0प्र0

---- अनावेदकगण.

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीनायब तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 बावत राजस्व क्रमांक 2/ए-74/2017-2018 आदेश दिनांक 21/3/2018 प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में.

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है:-

{1} यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत है।

{2} यहकि प्रकरण मे विद्यमान तथ्य एवं लैखिक दस्तावेजो पर विचार न करते हुए सिविल न्यायालय की डिक्री व निर्णय जो सिविल न्यायालय के द्वारा हो आदेश 21 के बने नियमों के तहत ही कार्यवाही किया जाना चाहिए जिसे निर्धारित अवधि में उत्तरवादी क्रमांक 1 ता 11 ने कार्यवाही नहीं किया जो अवधिबाधित है तथा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने से आवेदकगणों का आपत्ति मंजूर कर प्रचलनशीलता के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है किन्तु अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा ... अधिक बिन्दु पर विचार न करते हुये मात्र प्रचलनशील शब्दों का उल्लेख कर दिया आदेश अविधिक है व ऐसा आदेश व कार्यवाही निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3191/2018/सीधी/भू.रा.

रामसखा आदि विरूद्ध रामलखन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 02/ए–74/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 18/3/19 सदस्य	